जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

ढोल नगाड़े बजाकर की जाएगी बकाया विद्युत बिलों की वसूली

जयपुर, 2 जनवरी। जयपुर विद्युत वितरण निगम के जयपुर नगर वृत में विद्युत बिलों की 50 हजार रुपए अथवा इससे अधिक की बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं को अपनी बकाया राशि जमा कराने के लिए सात दिवस का समय दिया गया है।

जयपुर नगर वृत के अधीक्षण अभियन्ता श्री एस0 के0 सौखिंया ने बताया कि जयपुर नगर वृत के ऐसे उपभोक्ता जिन पर 50 हजार रुपए एवं इससे अधिक की राशि बकाया है वे सात दिवस में बकाया राशि जमा करा कर सम्बन्धित कार्यालय को सूचित कर देवें अन्यथा ई.यू.डी. आर./एल.आर. एक्ट के तहत वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सात दिवस पश्चात् ऐसे उपभोक्ताओं के परिसर पर निगम द्वारा ढोल नगाड़े बजाकर वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी।

–––––

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 382/2013